SSN 2394-5303

Printing Area®

Peer Reviewed International Refereed Research Journal

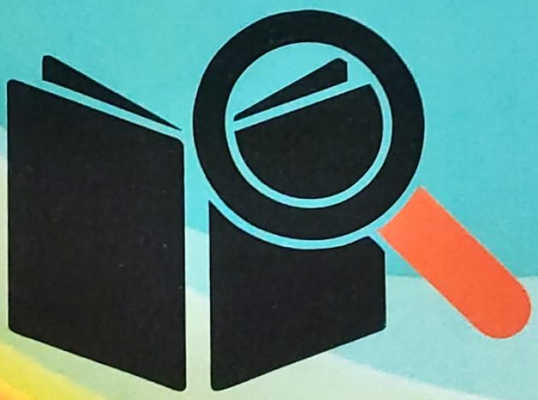

Revised Edition

Editor
Dr.Bapu G.Gholap

आंतरराष्ट्रीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

प्रिंटिंग एरिया

Printing Area International Interdisciplinary Research Journal in Marathi, Hindi & English Languages

January 2018, Issue-37, Vol-01

Editor
Dr. Bapu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

Co-Editor
Dr. Ravindranath Kewat
(M.A. Ph.D.)

"Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat**.

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

40) पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता : समस्या व समाधान
डॉ. सरोज हारित, चूरू (राज.) || 172

41) साम्प्रदायिकता का घिनौना चेहरा
मुल्ला आदम अली, तिरूपति || 175

42) 'अगनपाखी' उपन्यास का तात्त्विक विवेचन
डॉ. भरत ए. पटेल, जि.साबरकांठा गुजरात || 177

43) ६ से १२ साल के अनुसूचित जनजाति के बच्चों में पारिवारिक आहार का.....
डॉ० रेणु कुमारी—सुनीता मार्डी, राँची || 182

44) **डोगरी लोक कत्थें च चित्रत राक्षस : इक अध्ययन**
शर्मा आशू, जम्मू। || 185

45) डोगरी लोक गीत:इक नजर
यशपाल निर्मल, जम्मू। || 187

UGC Approved Journal
ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
UGC
Jr.No.43053

International Multilingual Research Journal

Printing Area

9850203295 7588057695

Editor Dr.Bapu G.Gholap

40

पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता : समस्या व समाधान

डॉ. सरोज हारित
सह आचार्य राजनीति विज्ञान,
राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू (राज.)

सारांश

भारत में पंचायतों के तीसरे चरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं को अधिकार प्रदान करना है। ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार कम से कम एक तिहाई महिलाएं सभी स्थानीय स्व–शासकीय निकायों तथा पंचायतों के स्तर पर निर्वाचित होंगी जिसमें पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख जिला परिषद् सभी स्तर शामिल है। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। किसी पंचायती राज संस्था में जितने सदस्य इस वर्ग के होंगे उसका एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। उदाहणार्थ यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों की संख्या नौ है तो तीन स्थान उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। लेकिन ये आरक्षित पद महिलाओं के कुल आरक्षित पदों में सम्मिलित माने जायेंगे।

महिलाओ की पंचायती राज में निम्न रूपों में सहभागिता हो सकती है – (१) महिला मतदाता के रूप में, (२) राजनैतिक दलों के सदस्य के रूप में, (३) प्रत्याशियों के रूप में, (४) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों के रूप में और (५) महिला मण्डलों के सदस्यों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साझेदारी के रूप में।

अत: ७३ वें संविधान संशोधन में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा एक मील के पत्थर के समान है। इससे पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है।

मुख्य शब्द :– पंचायती राज, महिला सहभागिता, राजनैतिक अधिकार, लोकतांत्रिक प्रणाली

प्रस्तावना

स्वायत्तशासी संस्थाएं लोकतंत्र का मूल आधार है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी मानी जाती है जबकि देश के निचले स्तरों तक लोतांत्रिक सस्थाओं का प्रसार किया जाए एवं उन्हें स्थानीय विषयों का प्रशासन चलाने में स्वतंत्रता प्राप्त हो। वस्तुत: ये संस्थाएं लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला एवं लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रत्याभूमि हैं। स्थानीय संस्थाएं सरकार के दूसरे अंगों से बढ़कर जनता का लोकतंत्र की सुरक्षा देती है। साथ ही विकेन्द्रीकरण एवं शक्ति से भागीदारी के प्रति निष्ठा व्यक्त करती है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप है, जिसमें लोगों की सक्रीय भागीदारी सुनिश्चित करके पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किये जाते हैं। अच्छी शासन व्यवस्था के मुख्य लक्षणों के अन्तर्गत व्यवस्था को अधिकाधिक क्षमतावान बनाने हेतु जन आवश्यकताओं को पूर्ण करना, जन समस्यों का निराकरण, तीव्र आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुधारों की निरन्तरता, वितरणात्मक न्याय एवं मानवीय संसाधनों का विकास आदि शामिल है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण उद्योगों का विकास, परिवार कल्याण कार्यक्रम, पशु संरक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था आदि का उचित प्रबन्ध करके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुद्रढ़ता प्रदान करना भी पंचायती राज का मौलिक – उद्देश्य है।

अध्ययन के उद्देश्य

१. पंचायत राज व्यवस्था को जानना।

२ पंचायती राज व्यवाया मे महिलाओं की सहभागिता को जानना।

३ महिला सहभागिता की समस्याओं को जानना व तत्संबंधित सुझाव देना ।

प्राचीन काल में भारत में जिस पंचायती राज की व्यवस्था था, उसका स्वरूप राजनैतिक कम,

सामाजिक अधिक था। सम्पूर्ण जीवन को दिशा देती थी तथा भारतीय ग्रामीण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान निर्माताओं लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर गठित करने की संविधान में व्यवस्था की। संविधान में एक निर्देश समाविष्ट किया गया राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के निए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तिया और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत शासन की इकाइयो के रूप में कार्य करने के योग बनाने के लिए आवश्यक हो।

महिलाओं को अधिकार देने कि अवधारणा विकासशीन समुदायो में भी लोकप्रिय है विकासशील देशों का नारी आन्दोलन मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक पर आधारित है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है भारत में संविधान लागू होते दिलाओं को समान राजनैतिक अधिकार एवं नागरिक स्वतंत्रता मिल गई। हमारे विधान में न केवल कानून के काम में समानता और समान कानूनी संरक्षण की गारंटी दी गई है, बल्की राज्य को ऐसे अधिकार भी दिये गये हैं कि वह भारत में महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक उपाय करें।

संसद ने महिलाओं साथ सामाजिक भेद–भाव दूर करने और उन पर अत्याचार व हिंसा की रोकथाम के विरुद्ध विधायी प्रस्ताव भी पारित किये गये। कानून के ढांचे में महिलाओं और उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। इस प्रकार भारत का संविधान नारी हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के कल्याण के बजाय उनके विकास पर बल दिया जाने लगा। छठी पंचवर्षीय योजना में, महिला विकास के लिए प्रथक अध्याय जोड़ा गया, जिसमें उनके स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार के उपाय किये गये। सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के आर्थिक और 'सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने तथा राष्ट्रीय विकास मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत विशेष कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लाभ में महिलाएं वंचित न रहे। इस प्रकार विकास के बजाय महिलाओं को अधिकार प्रदान करने पर बल दिया गया। सरकार द्वारा कई विशेष नीतियां महिलाओं के लिए अपनाई गई। योजनागत खर्च में भी बढ़ौतरी की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए चार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर लगभग बीस अरब रूपये हो गया।[1]

पंचायतों के चुनाव महिलाओ का प्रतिनिधित्व — ७३ वें संविधान संशोधन में पंचायतों के चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार करना अनिवार्य किया। अधिनियम में प्रावधान था कि जो पंचायतें इस अधिनियम के बनने से तरन्त पहले गठित हुई है वे अपना कार्यकाल पूरा कर सकती है। इस श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम आदि राज्य आते थे। शेष राज्यों को २३ अप्रेल १९९४ के तर हुआ। मध्य प्रदेश, हरियाणा के चुनाव करवाये थे। अब चुनाव करवाये थे। जबकि प्रतिशत ८० से ९० था। १९९४ के तुरन्त बाद चुनाव करा लेने चाहिए थे। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा और त्रिपुरा ही ऐसे राज्य थे जिन्होंने १९९४ में पंचायतों के चुनाव करवाये थे। अन्य राज्यों ने १९९५ के आखिर में और १९९६ के दौरान चुनाव करवाये थे। जबकि उड़ीसा में चुनाव १९९७ में हुए। पंचायत के चुनाव का प्रतिशत ८० से ९० था। यह राजस्थान में ६६ प्रतिशत, पंजाब में ग्राम पंचायत स्तर ८२ प्रतिशत था तथा पचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर ६४ प्रतिशत रहा। उत्तर प्रदेश में मतदान ६० प्रतिशत रहा। देश में पंचायतों के तीनों स्तरों पर सदस्य व अध्यक्ष के रूप में लगभग दस लाख महिला चुन कर आई।[2]

राजस्थान सरकार ने पंचायती राज से सम्बन्धित पूर्व के दोनों अधिनियमों (पंचायत राज अधिनियम १९५३ एवं पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम १९५९) को निरस्त कर ७३ वें संविधान संशोधन अधिनियम १९९२ के परिप्रेक्ष्य में नया पंचायती राज अधिनियम, १९९४ तैयार कर २३ अप्रेल १९९४ से राज्य में लागू कर दिया है। अब राज्य की सम्पूर्ण राज व्यवस्था जिसमें ९,१८७ ग्राम पंचायतें, २३७ पंचायत समितियां तथा ३२ जिला परिषदें शामिल है, इस अधिनियम के प्रावधानों, नियमों

एवं उपनियमों से संचालित होगी। राज्य सरकार ने नये अधिनियम के अनसार पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कराने के नियम एवं उपनियम बनाकर लाग किये, जिनके अनुरूप वर्ष १९९४ के अन्तिम माह में राज्य की पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों की सभी संस्थाओं के चुनाव कराये गये। चुनाओं के बाद राज्य में कुल १,१९,४१९ जन प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए जिनमें से ३८,७९१ महिलाएं, लगभग १५,००० पिछड़ा वर्ग के, २०,७१२ अनुसूचित जाति के एवं लगभग १८,००० अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि थे राजस्थान के पंचायती राज के इतिहास में प्रथम बार इतनी अधिक मात्रा में समाज के इन कमजोर वर्ग के लोगों एवं महिलाओ की राज्य के ग्रामीण विकास में तीनों ही स्तरों पर सहभागिता सुनिश्चित की गई। राजस्थान के साथ–साथ अन्य राज्यों में भी कई स्थितियों में चुनावी परिणाम महिलाओं की सहभागिता के सम्बन्ध में बहुत आशाप्रद रहे थे। देश में उडीसा पहला राज्य है जिसनें पंचायत में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत सीटों पर आरक्षण उस समय लागू किया जब केन्द्र सरकार इस पर विचार कर रही थी।[३]

महिलाओं की सहभागिता एवं समस्याएं :– पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है किन्तु यह तर्क भी ध्यान देने योग्य है कि विधान बनाने मात्र से बदलाव नहीं लाया जा सकता है। भारतीय संविधान का ढांचा इस प्रकार का है कि महिलाओं हमेशा से दबा कर रखा गया है अत: निरक्षरता, गरीबी तथा परम्परा के बन्धनों को तोड़ना मुश्किल होते हुए भी जरूरी था। इनका विश्लेषण निम्न रूपों में किया जाता है :–

(१) शिक्षा का अभाव

(१.१) वे अपने अधिकारों व कर्तव्यों को ठीक से नहीं जान पाती।

(१.२) निरक्षरता के कारण अधिकतर महिलओं की वास्तविक भूमिका उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा निभाई जाती है।

(२) प्रशिक्षण का अभाव :– पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने पंचायती राज पदाधिकारियों के लिए सरल में साहित्य तैयार किया है जो जनता में पंचायतों के प्रति जाग्रति पैदा करेगा। किन्तु इसे सभी स्तरें तक पहुंचाना असम्भव है।

(३) स्थानीय दलालों की भूमिका :– कहीं–कहीं स्थानीय दलालों ने महिलाओं के आरक्षण को कम से कम वर्तमान में अक्षम कर दिया है। हरियाणा के कुछ गांवों में यह देखा गया है कि महिला प्रतिनिधि उस परिवार की थी जहां पुरुष पंचायत के नेता हैं। कहीं–कहीं यह देखा गया है कि महिला इतनी बुजुर्ग थी कि वह चल भी नहीं सकती है। इसी सन्दर्भ में एक समस्य यही भी रही कि महिलाएं गांवों में आगे आक एव लड़ना नहीं चाहती थी।

(४) महिला प्रतिनिधियों के प्रति होने वाली हिंसा :– चुनावों के दौरान महिलाओं के खिलाफ कुछ उदाहरण देखने में आए। हरियाणा के कच्छरली गांव में दलित महिला सदस्य जिन्नदन बाई को तब पुलिस की मार व गालियों का सामना करना पड़ा जब जमीन के सौदे में पूछ–ताछ कर रही थी। जबकि मध्य प्रदेश में एक महिला का हाथ तोड़ दिया गया था।[४]

(५) पारिवारिक समस्या :– इस क्षेत्र में कुछ अध्ययनों से यह तथ्य भी सामने आये जिन महिला प्रतिनिधियों के परिवारो में अधिक सदस्य है वे परिवार की देख बाल करने व घर का काम करने के कारण पंचायतों की बैठकों में कम भाग लेती है।

(६) वित्तीय समस्या :– कई महिला प्रतिनिधियों को, खासकर कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय समस्या की वजह से अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिए कृषि कार्य/मजदूरी पर जाना पड़ता है। यदि वे पंचायत की बैठकों में जायेगी तो उनके समक्ष परिवार के पालन–पोषण की समस्या रहेगी।

महिलाओ की भागिदारी को कारगर बनाने हेतु प्रयास व सुझाव

भारतीय समाज में महिलाओं की भागीदारी को कारगर बनाने के सुझाव निम्न है – (१) महिलाओं को शिक्षित

ISSN: 2394 5303 | Impact Factor 4.002(IIJIF) | Printing Area™ International Research journal | January 2018 Issue-37, Vol-01 | 0175

करना – पंचायती राज में प्रतिनिधि को चुनने के लिए शिक्षा का मापदण्ड होना जरूरी है। इस हेतु प्रथम सरकार को प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को साक्षर करना जरूरी है ताकि वे पंचायत सम्बन्धित कार्य आसानी से समझ सके।

(२) उचित प्रशिक्षण – पंचायती राज प्रणाली के विषय में महिलाओं को उचित प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। जो प्रतिवर्ष कम से कम दो बार हो।

(३) जागरूकता पैदा करना – पंचायत में महिलाओं की सहभागिता को प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें ७३ वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के विषय में जागरुक किया जाये।

(४) ऑल वुमैन पंचायत – पंचायतों में महिलाओं की प्रभावकारी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए एक सुझाव यह भी है कि कानून द्वारा महिला पंचायतों का गठन किया जाए ताकि वे ग्रामीण समाज के परम्परागत तौर–तरीको को बदल सके।

(५) समाज में सम्मान – महिलाओं की पंचायती राज में भागीदारी को कारगर बनाने के लिए समाज का सहयोग अति आवशक है। ७३ वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया है । जिसे समाज के लोगो को स्वीकार करना होगा। आलोचना के बजाय महिलाओं को सम्मान देना चाहिऐ। ताकि वे पंचायती राज में अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

१. भारत में पंचायती राज – जोशी आर.पी.

२. भारत में पंचायती राज – राठौड गिरवर सिंह

३. पंचायती राज व्यवस्था – नरूला बी.सी.

४. पंचायती राज – जैन आर.बी

५. भारत में स्थानीय प्रशासन – शर्मा अशोक

❑❑❑

41

साम्प्रदायिकता का घिनौना चेहरा

मुल्ला आदम अली
शोध छात्र, हिंदी विभाग
श्री वेन्कटेशवर विश्वविद्यालय, तिरुपति

****

प्रस्तावना

आज २१ वीं सदी के एक दशकोपरांत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि जहाँ एक ओर मानव और समाज में अलगाववादी प्रवृत्तियों का भयंकर रूप से विकास हुआ है वहीं धार्मिक कट्टरता भी बढ़ी है। ज्ञान विज्ञान के उन्नत चरम पर पहुंचकर भी मानव में संकीर्णता, स्वार्थ तथा भोगवादी प्रवृत्ति और दृष्टि व्यापक होती रही है, परिणाम स्वरूप जो भारतीय समाज में धर्म, भाषा, जाती, वर्ण और क्षेत्रीयता इत्यादि के आधार पर समाज कई हिस्सों में बांटा हुआ था, वह खाई बढ़ती जा रही है। अलगाववादी प्रवृत्ति के चलते हमने देश, समाज और परिवार तक टुकडों–टुकडों में विभाजित एवं खंडित कर संतोष की साँस नहीं ली है। अपितु अपनी संकीर्ण मानसिकता और कट्टर धार्मिकता के कारण देश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंक कर मानवता को लज्जित किया है।

साम्प्रदायिकता.....एक विकार:–

रामधारी सिंह दिनकर अपने ग्रंथ 'संस्कृति के चार अध्याय' में लिखते है– "साम्प्रदायिकता एक संक्रामक रोग है। जब एक जाति भयानक रूप से साम्प्रदायिक हो उठती है, तब दूसरी जाति भी अपने अस्तित्व का ध्यान करने लगती है और उसके भाव भी शुद्ध नही रह जाते।"

साम्प्रदायिकता क्या ... ब्द